



समान अवसर आयोग का परिचय  
**ABOUT THE EQUAL OPPORTUNITIES  
COMMISSION**





## हमारा विजन OUR VISION

एक बहुलतावादी और समावेशी समाज का निर्माण करना जहां समान अवसरों में कोई बाधा नहीं है।

To create a pluralistic and inclusive society free of discrimination where there is no barrier to equal opportunities.

## हमारा परिचय ABOUT US

समान अवसर आयोग (EOC) एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1996 में हांगकांग में भेदभाव-रोधी अध्यादेशों, जिनके नाम हैं लिंग भेदभाव अध्यादेश (SDO), विकलांगता भेदभाव अध्यादेश (DDO), पारिवारिक स्थिति भेदभाव अध्यादेश (FSDO) और जाति भेदभाव अध्यादेश (RDO) को लागू करने के लिए की गई थी।

The Equal Opportunities Commission (EOC) is an independent statutory body established in 1996 to implement the anti-discrimination ordinances in Hong Kong, namely the Sex Discrimination Ordinance (SDO), the Disability Discrimination Ordinance (DDO), the Family Status Discrimination Ordinance (FSDO) and the Race Discrimination Ordinance (RDO).

## हमारा संगठन OUR ORGANISATION

EOC बोर्ड आयोग की सभी रणनीतियों के लिए नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करता है और EOC के वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में इसके कार्यों पर निगरानी रखता है। लिंग भेदभाव अध्यादेश के अनुसार बोर्ड में एक अध्यक्ष और 16 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। सभी की नियुक्ति हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के चीफ एक्ज्युकेटिव द्वारा की जाती है।

EOC को विभिन्न कार्यकारी विभागों में बांटा गया है जिनके नाम हैं शिकायत सेवा विभाग, कॉर्पोरेट संचार विभाग, कॉर्पोरेट योजना तथा सेवा विभाग, एवं कानूनी सेवा विभाग। EOC ने एक एथनिक माइनॉरिटी यूनिट की स्थापना भी की है।

The EOC Board provides leadership and guidance on the planning of the Commission's overall strategies and oversees the operation of the EOC in fulfilling its statutory duties. According to the Sex Discrimination Ordinance, the Board is comprised of a Chairperson and no more than 16 Members, all appointed by the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region.

The EOC is divided into different functional divisions, namely the Complaint Services Division, the Corporate Communications Division, the Corporate Planning and Services Division, the Legal Service Division and the Policy, Research and Training Division. The EOC has also set up an Ethnic Minorities Unit.



“ हमें लोगों और समाज की बेहतरी के लिए भेदभाव को मिटाना है  
We must eliminate discrimination for the good of individuals and society ”

## भेदभाव क्या है?

### WHAT IS DISCRIMINATION?

भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ बगैर औचित्य के कारणों या परिस्थितियों में उनके पहचान (जैसे लिंग या जाति) या उनकी खास विशेषताओं के कारण (जैसे विकलांगता) कम अनुकूल व्यवहार करना।

Discrimination means giving a person less favourable treatment because of who they are (such as gender or race) or because they possess certain characteristics (such as disability) without justifiable reasons or circumstances.

## हमें भेदभाव से लड़ने की क्यों जरूरत है?

### WHY DO WE NEED TO FIGHT DISCRIMINATION?

भेदभाव से मुक्ति का अधिकार एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य मौलिक मानवाधिकार है। भेदभाव के कारण प्रभावित व्यक्तियों को शारीरिक और भावनात्मक नुकसान हो सकता है और इसका परिणाम खराब स्वास्थ्य, चिंता और अवसाद हो सकते हैं। यह व्यक्ति के परस्पर संबंधों और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कार्यस्थल पर यह कर्मचारियों के उत्साह और प्रेरणा को कम करता है, और व्यवसाय में उत्पादकता और सकल अर्थव्यवस्था में कमी करता है। हमें लोगों और समाज की बेहतरी के लिए भेदभाव को मिटाना है।

The right to freedom from discrimination is universally recognised as a fundamental human right. Discrimination causes physical and emotional harm to the affected individuals and can lead to poor health, anxiety and depression. It affects interpersonal relationships and quality of life. In the workplace, it undermines staff morale and motivation, and lowers productivity of businesses and the overall economy. We must eliminate discrimination for the good of individuals and society.



## भेदभाव विरोधी कानून

वर्तमान में हांगकांग के चार भेदभाव-रोधी अध्यादेश लिंग, गर्भावस्था, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, पारिवारिक स्थिति और जाति के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करते हैं। यह कानून उत्पीड़न और तिरस्कार के साथ यौन उत्पीड़न के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

## ABOUT THE ANTI-DISCRIMINATION LEGISLATION

Currently the four anti-discrimination ordinances of Hong Kong prohibit discrimination on the grounds of sex, pregnancy, marital status, disability, family status and race. The legislation also provides protection from harassment and vilification, including sexual harassment.



लिंग भेदभाव अध्यादेश  
**SEX DISCRIMINATION  
ORDINANCE**



विकलांगता भेदभाव अध्यादेश  
**DISABILITY  
DISCRIMINATION ORDINANCE**



पारिवारिक स्थिति भेदभाव  
अध्यादेश  
**FAMILY STATUS  
DISCRIMINATION ORDINANCE**



जाति भेदभाव अध्यादेश  
**RACE DISCRIMINATION  
ORDINANCE**

यह अध्यादेश सार्वजनिक जीवन में विभिन्न गतिविधियों को कवर करते हैं, इनमें मुख्यतः शामिल हैं:  
The ordinances cover a range of activities in the public domain, including mainly:

रोजगार	Employment
शिक्षा	Education
वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान	Provision of goods, services and facilities
परिसरों का निपटान या प्रबंधन	Disposal or management of premises
परामर्श निकायों में वोट देने या चुने जाने की योग्यता	Eligibility to vote for and to be elected or appointed to advisory bodies
क्लब और स्पोर्टिंग गतिविधियों में भागीदारी	Participation in clubs and sporting activities
सरकार की गतिविधियां	Activities of the Government



# हमारे कार्य और दायित्व

## OUR FUNCTIONS & DUTIES

कानून के अनुसार अनुपालन लागू करना और भेदभाव के लिए शिकायत निवारण:

### ENFORCE COMPLIANCE WITH THE LAW AND PROVIDE REDRESS FOR DISCRIMINATION:

- भेदभाव-रोधी कानून के अंतर्गत शिकायतों की जांच करना और विवाद में पक्षों के बीच सुलह करने को बढ़ावा देना  
Investigate complaints lodged under the anti-discrimination legislation and encourage conciliation between the parties in dispute
- भेदभाव पैदा करने वाली स्थितियों और मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर जांच करना और जब प्रणालीगत भेदभाव का सामना करने की आवश्यकता हो नीतियों की औपचारिक जांच-पड़ताल करना  
Undertake self-initiated investigations into situations and issues giving rise to discrimination, and conduct formal investigation into policies when needed to combat systemic discrimination
- उपयुक्त मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करना, जिसमें कार्यवाहियों में मदद करना भी शामिल है  
Provide legal assistance to aggrieved persons in appropriate cases, including assistance in proceedings
- कानून के कार्यान्वयन की निगरानी करना और कानून में सुधारों की सिफारिशें करना  
Monitor implementation of the legislation and make recommendations on reforms to enhance the legislation

समान अवसरों की पैरवी करना और शिक्षा प्रदान करना:

### ADVOCATE AND EDUCATE ON THE VALUES OF EQUAL OPPORTUNITIES:

- समाज में भेदभाव के रुझानों की पहचान करने के लिए शोध अध्ययन करना और सार्वजनिक नीतियों और उपायों की सिफारिशें करना  
Conduct research studies to identify trends of discrimination in society and make recommendations on public policies and measures
- शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम द्वारा लोगों को भेदभाव-रोधी अध्यादेशों के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाना  
Empower the public with knowledge of the anti-discrimination ordinances through education and training courses
- विभिन्न सेक्टरों में उद्यमों के साथ, विशेष रूप से कार्यस्थल पर, समान अवसरों के लिए नीतियां और अच्छा व्यवहार विकसित करने के लिए भागीदारी करना  
Partner with enterprises in different sectors to develop equal opportunities policies and best practices, especially in the workplace
- विभिन्न संचार चैनलों के माध्यमों से समान अवसरों के सिद्धांतों का प्रचार करना और आयोजनों और गतिविधियों के द्वारा लोगों को भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में शामिल करना  
Promulgate values of equal opportunities through different communication channels, and engage the public to combat discrimination through events and activities

# भेदभाव के लिए निवारण प्रदान करना

## PROVIDE REDRESS FOR DISCRIMINATION

### EOC मेरी कैसे सहायता कर सकता है?

#### HOW CAN THE EOC HELP ME?

कोई भी व्यक्ति जिसे यह लगता है कि उसके साथ अध्यादेश में वर्णित किए अनुसार भेदभाव, उत्पीड़न या तिरस्कार हुआ है वह EOC के पास लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवा सकता/ती है। EOC एक “पीड़ित-केन्द्रीत” दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, पर साथ ही शिकायत का निपटान करने में न्याय और निष्पक्षता का पालन करता है।

Anyone who believes that he/she has experienced discrimination, harassment or vilification specified in the ordinances may lodge a complaint with the EOC in writing. The EOC is committed to adopting a “victim-centric” approach, while adhering to the principles of fairness and impartiality in handling the complaint.

### शिकायत दर्ज कराना

भेदभाव-रोधी अध्यादेशों के अनुसार यह आवश्यक है, कि EOC को शिकायत लिखित में होनी चाहिए। यह शिकायत पीड़ित व्यक्ति या उसके/उसकी प्रतिनिधि द्वारा की जा सकती है और इसमें होने चाहिए: शिकायतकर्ता का व्यक्तिगत विवरण और आइडेंटिटी कार्ड नंबर, प्रतिवादी (यों) की पहचान की जानकारी, आरोपित कानून विरोधी कार्य(यों) का प्रसंगिक विवरण, जैसे कथित कार्य(यों) की तारीख, शिकायत से संबंधित जानकारी और गवाहों के नाम, यदि कोई हैं तो।

शिकायत, डाक, फैक्स, ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है, या EOC में व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है। शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करवाने के लिए EOC वेबसाइट पर ऑनलाइन फार्म भी उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी शिकायतकर्ता को लिखित शिकायत तैयार करने में कठिनाई होती है तो वह EOC ऑफिस में संपर्क कर सकता/ती है। EOC शिकायतकर्ता की कठिनाई का पता लगाएगा और प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विचार करेगा क्या कोई लेखन सहायता प्रदान की जाए।

### Lodging a Complaint

As required by the anti-discrimination ordinances, complaints to the EOC must be in writing. The complaint can be made by an aggrieved person or his/her authorised representative and should contain: the personal details and identity card number of the complainant, the information identifying the respondent(s), and the relevant details of the alleged unlawful act(s), such as the date of the alleged act(s), any information in support of the complaint and names of witnesses, if any.

The complaint can be sent by mail, fax, email, or it may be made in person at the EOC Office. Complainants may also use the online form on the EOC website for filing the complaint.

If a complainant has difficulties in preparing a complaint in writing, he/she can contact the EOC office. The EOC will ascertain the complainant's difficulties and, on the basis of the information given, consider whether to provide any writing support.



ईमेल | Email

eoc@eoc.org.hk



मेल | Mail

16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong



फैक्स | Fax

(852) 2511 8142

# भेदभाव के लिए निवारण प्रदान करना

## PROVIDE REDRESS FOR DISCRIMINATION

### शिकायत की जांच-पड़ताल करना

लिखित में शिकायत प्राप्त होने पर EOC आंतरिक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार मामले का वर्गीकरण करेगा, और पता लगाएगा क्या शिकायत EOC के क्षेत्राधिकार में आती है। किसी मामले का शिकायत के रूप में वर्गीकरण होने के बाद EOC जांच करने के लिए एक अफसर को नियुक्त करेगा। EOC शिकायत के प्रतिवादी को सूचित करेगा और प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध करेगा। EOC शिकायतकर्ता को विभिन्न बिंदुओं पर अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण देने के लिए भी लिख सकता है, और गवाह या दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने के लिए भी कह सकता है जो आरोप(पों) का समर्थन करें। जहां आवश्यक और उपयुक्त हो EOC विशेषज्ञ का दृष्टिकोण भी ले सकता है।

### समझौता

किसी शिकायत मामले की जांच के दौरान EOC शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को एक सुलह के माध्यम से इससे समाधान तक पहुँचने में मदद के प्रयास करेगा। समझौते का उद्देश्य संबंधित पक्षों को एक साथ लाकर विवाद का समाधान करने के तरीके खोजना है। समझौते का प्रयास यह होता है कि दोनों पक्ष साझा आधार खोजें जिससे समाधान से दोनों संतुष्ट हों ताकि वे विवाद से आगे बढ़ सकें। समझौता पूरी तरह स्वैच्छिक होता है। समझौते की प्रक्रिया में हासिल की गई समस्त जानकारी गोपनीय रखी जाती है और कोर्ट की कार्यवाहियों में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। यदि पक्ष एक समझौते पर पहुँचते हैं, इस सुलहनामे पर अनुबंध के रूप में पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है।

### अन्य सहायता

EOC एक न्यायालय या एक ट्रिब्यूनल नहीं है। इसके पास भेदभाव, उत्पीड़न या तिरस्कार के दावों पर निर्णय करने की शक्ति नहीं है। यह एक कानूनी सहायता एजेंसी नहीं है। फिर भी, यदि किसी मामले में सुलह नहीं होती है तो शिकायतकर्ता कानूनी सहायता सहित अन्य सहायता के लिए EOC को आवेदन कर सकता है। EOC के वकील मामले पर रिपोर्ट तैयार करेंगे और EOC लीगल एण्ड कमप्लेंट्स कमेटी को अनुशंसा करेंगे, जिसे यह निर्णय करने का अधिकार प्रदत्त है कि कौन से मामलों में सहायता दी जानी चाहिए।

### Investigation of a Complaint

Upon receiving a complaint in writing, the EOC will classify the case according to the internal operating procedures, and ascertain if the complaint falls within the jurisdiction of the EOC. Once a case has been classified as a complaint, an officer of the EOC will be assigned to conduct an investigation. The EOC will notify the respondent of the complaint and request a response. The EOC may also write to the complainant seeking further information or clarification of certain points, and may also ask for witnesses or documentary proof that might support the allegation(s). Where needed and appropriate, the EOC may seek for experts' opinions.

### Conciliation

In the course of investigation into a complaint case, the EOC will endeavour to help the complainant and the respondent reach a settlement by way of conciliation. The purpose of conciliation is to bring the parties concerned together to look for ways of resolving the dispute. Conciliation looks for common ground to help resolve the matter to the satisfaction of both parties so that they can move beyond the dispute.

Conciliation is completely voluntary. All information gathered in the conciliation process is kept confidential and is not made available to court proceedings. Should the parties reach a settlement, the agreement signed by the parties is a contract and is legally binding.

### Other Assistance

The EOC is not a court or a tribunal. It does not have the power to decide on claims of discrimination, harassment or vilification. Neither is it a legal aid agency. Nevertheless, if a case is not conciliated, the complainant may apply to the EOC for other assistance, including legal assistance. The EOC lawyer will prepare a report on the case and make a recommendation to the EOC Legal and Complaints Committee, which has been delegated with the power to decide which cases should be given assistance.




# भेदभाव के लिए निवारण प्रदान करना

## PROVIDE REDRESS FOR DISCRIMINATION

### EOC में शिकायत दर्ज करना

#### TAKING A COMPLAINT TO THE EOC



# भेदभाव के लिए निवारण प्रदान करना

## PROVIDE REDRESS FOR DISCRIMINATION

### कानूनी सहायता

### Legal Assistance

कानूनी सहायता प्रदान करने या न करने के फैसले में मुख्य कारकों में शामिल हैं:

Main factors in considering whether or not legal assistance would be provided include:

- क्या मामला किसी महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर मिसाल कायम कर सकता है?
- Could the case establish a precedent on any important legal issues?
- मामले की जटिलता या पार्टियों की प्रासंगिक स्थिति (जैसे शक्ति का असंतुलन) के कारण क्या आवेदक के लिए इसे संभालना मुश्किल होगा?
- Would it be difficult for the applicant to handle the case given its complexity or the relevant position of the parties (e.g. imbalance of power)?
- क्या यह मामला हांगकांग में प्रचलित भेदभाव के क्षेत्रों में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएगा?
- Would the case raise public awareness on areas of discrimination which are still prevalent in Hong Kong?
- क्या यह मामला भेदभाव को खत्म करने के लिए संस्थागत बदलावों को बढ़ावा देगा?
- Would the case encourage institutional changes to eliminate discrimination?
- जहां तक मामले का संबंध है क्या भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनी कार्यवाही सबसे अच्छा या सबसे प्रभावी तरीका है?
- Is legal proceeding the best or most effective way to eliminate discrimination insofar as the particular case is concerned?
- क्या अदालत में सफलता की उचित संभावना के लिए सबूत पर्याप्त हैं?
- Is the evidence sufficient to support a reasonable prospect of success in court?

### निपटान की शर्तें

### Settlement Terms

समझौते या कानूनी सहायता के बाद निपटान की शर्तों में शामिल हो सकते हैं:

Settlement terms after conciliation or legal assistance may include:

- माफी; शिकायतकर्ता प्रतिवादी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करता/ती है
- Apology; complainant accepting respondent's explanation
- धन संबंधी मुआवज़ा; चैरिटी को दान करना
- Monetary compensation; donation to charity
- रोज़गार की पेशकश; बहाली; लाभों के प्रावधान; रेफरेंस लेटर का प्रावधान; शिक्षा कार्यक्रमों/प्रशिक्षण के प्रावधान
- Offer of employment; reinstatement; provision of benefits; provision of reference letter; provision of education programmes/training
- वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान; सुविधाओं और सुविधाओं की पहुँच में सुधार
- Provision of goods, services and facilities; improvements to facilities and accessibility
- नीतियों/प्रथाओं में बदलाव; भेदभावपूर्ण व्यवहारों को रोकने के लिए शपथ; कुछ कार्यों पर निषेध; अनुशासनात्मक कार्यवाही
- Changes in policies/practices; undertaking to cease discriminatory practices; restrictions on certain acts; disciplinary actions

## कॉपीराइट | COPYRIGHT

---

इस प्रकाशन के सभी या कुछ हिस्सों का पुनः प्रकाशन की अनुमति केवल गैर-लाभ आधारित उद्देश्यों के लिए है और पुनःप्रकाशन में इस कार्य का साभार संदर्भ दिया जाए।

Reproduction of all or any parts of this publication is permitted on condition that it is for non-profit-making purposes and an acknowledgement of this work is duly made in reproduction.

## अस्वीकरण | DISCLAIMER

---

इस प्रकाशन में प्रदान की गई जानकारी केवल सामान्य संदर्भ के लिए है। यह भेदभाव-रोधी अध्यादेशों को लागू करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है। कानून की एक संपूर्ण और निश्चित परिभाषा के लिए अध्यादेशों के प्रत्यक्ष संदर्भ देखने चाहिए। समान अवसर आयोग (EOC) किसी विशेष उद्देश्य के लिए या उपरोक्त जानकारी के उपयोग के संबंध में सटीकता या सही होने की कोई अभिव्यक्ति या निहित वारंटी नहीं देता है। उपरोक्त सुझाव अध्यादेशों के अंतर्गत EOC के प्रदत्त कार्यों और शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं।

The information provided in this publication is for general reference only. It does not provide an exhaustive guide to the application of the anti-discrimination ordinances. For a complete and definitive statement of the law, direct reference should be made to the ordinances. The Equal Opportunities Commission (EOC) makes no express or implied warranties of accuracy or fitness for a particular purpose or use with respect to the above information. The above suggestions will not affect the functions and powers conferred to the EOC under the ordinances.



平等機會委員會  
EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION

टेली	Tel	(852) 2511 8211
फैक्स	Fax	(852) 2511 8142
पता	Address	16/F, 41 Heung Yip Road Wong Chuk Hang Hong Kong
ईमेल	Email	eoc@eoc.org.hk
SMS		6972566616538 (For people with hearing impairment/speech difficulties)

[www.eoc.org.hk](http://www.eoc.org.hk)

